

न्याया:—डॉ. मनोज कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड

जिला भिण्ड म0प्र0

यूएनसीआर कं0—112 / 2020

09.07.2025

परिवादी द्वारा कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

परिवादी साक्ष्य अनुपस्थित।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि यह परिवाद दिनांक 28.09.2020 को पेश किया गया था जिस पर से यह परिवाद परिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया था। परिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर दिये गये हैं फिर भी परिवादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र दिनांकित 28.09.2020 धारा 203 दं0प्र0सं0 के आलोक में निरस्त किया जाता है।

अतः परिवादी के निवेदन पर यह परिवाद पत्र धारा 203 दं0प्र0सं0 के आलोक में निरस्त किया जाता है।

परिणाम दर्ज कर पत्रावली नियत समयावधि में अभिलेखगार भेजा जावे।

हस्ता /—

(**डॉ.मनोज कुमार**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

भिण्ड, जिला भिण्ड म.प्र.